न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 39/2023/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 08.02.2023
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1.बाबूलालपुत्र श्री मोडूलाल जाति धाकड़, निवासी वार्ड नं0 7 तहसील दीगोद जिला कोटा

...अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा
2. अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, सुल्तानपुर, जिला कोटा

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री ओमप्रकाश प्रजापति अभिभाषक – अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2

::निर्णय::

दिनांक 23.10.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 18/2021 बउनवान बाबूलालबनाम राज0 सरकार वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 17.08.2022(संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्धद्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, दीगोद द्वारा प्रकरण संख्या 1588/2020 सरकार बनाम बाबूलाल निर्णय दिनांक 09.09.2020 से ग्राम दीगोद की आराजी खसरा संख्या 1187 रकबा 0.01 (डाक बंगले के सामने) जो सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान के नाम दर्ज है।उक्त आराजी पर अप्रार्थी बाबूलाल को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहतसार्वजनिक हित की भूमि पर अतिक्रमण होने से अतिक्रमी मानते हुए 50/– रूपये शास्ति आरोपित करते हुए उक्त आराजी से बेदखली किये जाने के आदेश दिये गये। अपीलांट द्वारा तहसीलदार, दीगोद के निर्णय दिनांक 09.09.2020 से अप्रसन्न होकर भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा के यहां पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 18/2021 (अपील) बउनवान बाबूलाल बनाम राजस्थान सरकार वगे0 में प्रश्नगत आराजी ग्राम दीगोद खसरा सं0 1187 रकबा 4.41 है0 किस्म गै0मु0 सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज होने से किसी व्यक्ति विशेष को आवंटित/विक्रय नहीं किया जाने तथा पंचायत को बेचने का अधिकार नहीं होने से तहसीलदार, दीगोद द्वारा पारित निर्णय को न्यायोचित मानते हुए अपील निर्णय दिनांक 17.08.2022 से खारिज की गई।

23/10/24
अति. सं. आयुक्त
कोटा

2 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 18/2021 बउनवान बाबूलाल बनाम राज0 सरकार वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 17.08.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश कर कथन किया कि विचारण न्यायालय तहसीलदार दीगोद द्वारा अपीलांट के विरूद्ध 91 एलआरएक्ट के तहत ग्राम दीगोद के खसरा संख्या 1187 की रकबा 4.41 है0 भूमि गैर मूमकिन सड़क दर्ज है। जिसमें से अपीलांट का कब्जा 0.01 है0 डाक बंगले के सामने बताकर बेदखली का निर्णय पारित किया गया जबकि उक्त भूमि आबादी की है, जो अपीलांट ने ग्राम पंचायत दीगोद से खरीद की है तथा अपीलांट उक्त भूमि पर काफी समय से मकान बनाकर रहता चला आ रहा है। उक्त कार्यवाही करने पर प्रार्थी (अपीलांट) द्वारा एक सिविल वाद न्यायालय सिविल न्यायाधिश दीगोद के यहां रेस्पो0 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया कि मूल वाद के निस्तारण तक अपीलांट को बेदखल नहीं करे, जिसकी अपील रेस्पो0 नं0 2 ने अपील माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां प्रस्तुत की थी जो खारिज हो चुकी है। प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा द्वारा सरसरी तौर पर अपील अपीलांट खारिज कर दी गई। विचारण न्यायालय ने समुचित साक्ष्य का अवसर दिये बगैर तथा ग्राम पंचायत को नोटिस दिये बिना गलत रूप से बेदखली का आदेश सिविल न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहैलना करते हुए दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी उपरोक्त तथ्यों पर गौर नहीं किया। जबकि सिविल न्यायालय में विवादित भूमि बाबत अपीलांट के हक अधिकारों का निर्णय होना है। ग्राम पंचायत क्षेत्र आबादी होने से ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि को बेचान अपीलांट को किया गया था तथा आबादी भूमि में मकान आदि से बेदखल करने का अधिकार एलआरएक्ट के तहत विचारण न्यायालय को नहीं था तथा ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाये बगैर मनमानी रूप से पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में मौके की कोई पैमाईश रिपोर्ट नही होते हुए भी भूमि अपीलांट के गैर मुमकिन सड़क में होना गलत रूप से मानकर निर्णय पारित किया है, जो हर दो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर हर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा का निर्णय दिनांक 17.08.2022 एवं तहसीलदार दीगोद का निर्णय दिनांक 09.09.2020 निरस्त किया जावे।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय तहसीलदार दीगोद द्वारा अपीलांट के विरूद्ध 91 एलआरएक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए ग्राम दीगोद के खसरा संख्या 1187 की रकबा 4.41 है0 भूमि गैर मूमकिन सड़क दर्ज है। जिसमें से अपीलांट का कब्जा 0.01 है0 डाक बंगले के सामने बताकर बेदखली का निर्णय पारित किया गया जबकि उक्त भूमि आबादी की है, जो अपीलांट ने ग्राम पंचायत दीगोद से खरीद की है तथा अपीलांट उक्त भूमि पर काफी समय से मकान बनाकर रहता चला आ रहा है। उक्त कार्यवाही करने पर प्रार्थी (अपीलांट) द्वारा एक सिविल वाद न्यायालय सिविल न्यायाधिश दीगोद के यहां रेस्पो0 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया कि मूल वाद के निस्तारण तक अपीलांट को बेदखल नहीं करे, जिसकी अपील रेस्पो0 नं0 2 ने अपील माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां प्रस्तुत की थी जो खारिज हो चुकी है। विचारण न्यायालय ने समुचित साक्ष्य का अवसर दिये बगैर तथा ग्राम पंचायत को नोटिस दिये बिना गलत रूप से बेदखली का आदेश सिविल न्यायालय के स्थगन

23/10/24
वरि. सं. आयुक्त
कोटा

आदेश की अवहैलना करते हुए दिया गया है। ग्राम पंचायत क्षेत्र आबादी होने से ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि को बेचान अपीलांट को किया गया था तथा आबादी भूमि में मकान आदि से बेदखल करने का अधिकार एलआरएक्ट के तहत विचारण न्यायालय को नहीं था तथा ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाये बगैर मनमानी रूप से पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में मौके की कोई पैमाईश रिपोर्ट नही होते हुए भी भूमि अपीलांट के गैर मुमकिन सड़क में होना गलत रूप से मानकर निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कि जाकर हर दो अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा का निर्णय दिनांक 17.08.2022 एवं तहसीलदार दीगोद का निर्णय दिनांक 09.09.2020 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5 रेस्पो0पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट को विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 अन्तर्गत विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए नोटिस दिये जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान कर उपरोक्त वर्णित आराजी से बेदखल किये जाने का आदेश दिनांक 09.09.2020 विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। विवादित आराजी राजस्व रिकोर्ड में गैरमुमकिन सड़क दर्ज है, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है तथा ग्राम पंचायत को उक्त भूमि बेचने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी न्यायालय तहसीलदार दीगोद के निर्णय को न्यायोचित मानते हुए सार्वजनिक प्रयोजना की होने से किसी भी प्रकार किसी व्यक्ति विशेष को आवंटित/विक्रय नहीं किया जाना तथा सरकारी भूमि का किसी भी प्रकार से ग्राम पंचायत को बेचने का अधिकार नहीं होना मानते हुए निर्णय दिनांक 17.08.2022 से अपील खारिज की गई है। हर दो अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय न्यायोचित होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील खारिज की जावे।

6 अपीलांट की ओर से प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी पेश कर प्रकरण में आवश्यक दस्तावेज पेश किये जाने बाबत् अनुरोध किया गया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र वास्ते दस्तावेज रिकोर्ड पर लिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया। लिहाजा अपीलांट की ओर से पेश प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर दस्तावेज रिकोर्ड पर लिये जाते हैं।

7 हमने अपील पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा एवं न्यायालय तहसीलदार दीगोद की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली को अवलोकन करने से प्रकट होता है कि तहसीलदार, दीगोद द्वारा प्रकरण संख्या 1588/2020 सरकार बनाम बाबूलाल निर्णय दिनांक 09.09.2020 से ग्राम दीगोद की आराजी खसरा संख्या 1187 रकबा 0.01 (डाक बंगले के सामने) जो सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान के नाम दर्ज है। उक्त आराजी पर अपीलांट बाबूलाल को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत सार्वजनिक हित की भूमि पर अतिक्रमण होने से अतिक्रमी मानते हुए 50/– रूपये शास्ति आरोपित करते हुए उक्त आराजी से बेदखली किये जाने के आदेश दिये गये। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 18/2021 (अपील) बउनवान बाबूलाल बनाम राजस्थान सरकार वगे0 में प्रश्नगत आराजी सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज होने से किसी व्यक्ति विशेष को आवंटित/विक्रय नहीं किया जाने तथा पंचायत को बेचने का अधिकार नहीं होने से तहसीलदार, दीगोद द्वारा पारित निर्णय को न्यायोचित मानते हुए अपील निर्णय दिनांक 17.08.2022 से खारिज की गई। प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि उपरोक्त वर्णित आराजी ग्राम पंचायत दीगोद से खरीद की है तथा अपीलांट उक्त भूमि

23/10/24
अति. सं. आयुक्त
कोटा

पर काफी समय से मकान बनाकर रहता चला आ रहा है। न्यायालय तहसीलदार, दीगोद द्वारा निर्णय दिनांक 09.09.2020 से बेदखली की कार्यवाही किये जाने पर अपीलांट द्वारा एक सिविल वाद न्यायालय सिविल न्यायाधिश दीगोद के यहां रेस्पो0 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था जिसमें" मूल वाद के निस्तारण तक अपीलांट को विवादित आराजी से बेदखल नहीं करे", के आदेश पारित किये गये थे, जिसकी अपील रेस्पो0 नं0 2 ने अपील माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां प्रस्तुत की थी जो खारिज हो चुकी है। विचारण न्यायालय ने समुचित साक्ष्य का अवसर दिये बगैर तथा ग्राम पंचायत को नोटिस दिये बिना गलत रूप से बेदखली का आदेश सिविल न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहैलना करते हुए दिया गया है। आबादी भूमि में मकान आदि से बेदखल करने का अधिकार एलआरएक्ट के तहत न्यायालय तहसीलदार, दीगोद को नहीं था तथा ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाये बगैर मनमानी रूप से पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में मौके की कोई पैमाईश रिपोर्ट नही होते हुए भी भूमि अपीलांट के गैर मुमकिन सड़क में होना गलत रूप से मानकर निर्णय पारित किया है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रश्नगत आराजी सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज होने से किसी व्यक्ति विशेष को आवंटित/विक्रय नहीं किया जाने तथा पंचायत को बेचने का अधिकार नहीं होने से तहसीलदार, दीगोद द्वारा पारित निर्णय को न्यायोचित मानते हुए अपील निर्णय दिनांक 17.08.2022 से खारिज की गई। इसके विपरित रेस्पो0 पेरोकर सरकार का तर्क रहा है कि अपीलांट को विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 अन्तर्गत विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए नोटिस दिये जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान कर उपरोक्त वर्णित आराजी से बेदखल किये जाने का आदेश दिनांक 09.09.2020 विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। विवादित आराजी राजस्व रिकोर्ड में गैरमुमकिन सड़क दर्ज है, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है तथा ग्राम पंचायत को उक्त भूमि बेचने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी न्यायालय तहसीलदार दीगोद के निर्णय को न्यायोचित मानते हुए सार्वजनिक प्रयोजना की होने से किसी भी प्रकार किसी व्यक्ति विशेष को आवंटित/विक्रय नहीं किया जाना तथा सरकारी भूमि का किसी भी प्रकार से ग्राम पंचायत को बेचने का अधिकार नहीं होना मानते हुए निर्णय दिनांक 17.08.2022 से अपील खारिज की गई है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि न्यायालय तहसीलदार दीगोद की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड कोटा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 250 दिनांक 03.02.2020 से "रोड़ साइड सा.नि.वि. की भूमि में अतिक्रमण हटाने बाबत" माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दीगोद द्वारा पारित आदेश अनुसार मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी बाबूलाल को विवादित आराजी से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल नहीं किये जाने के आदेश पर भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार, दीगोद को लिखा गया। इसके पश्चात् न्यायालय तहसीलदार, दीगोद द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलांट बाबूलाल को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 अन्तर्गत अपीलांट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही अन्तर्गत दिनांक 05.02.2020, 24.02.2020 एवं 04.09.2020 से नोटिस जारी किये जाकर अपीलांट को पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना प्रकट होता है तथा उक्त नोटिस के प्रत्युत्तर में अपीलांट बाबूलाल की ओर से प्रस्तुत प्रत्युत्तर पत्रावली में उपलब्ध है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि न्यायालय तहसीलदार दीगोद द्वारा अपीलांट बाबूलाल के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय दिनांक 09.09.2020 पारित किया गया है। चूंकि वादग्रस्त आराजी राजस्व

23/10/2024
अति. सं. आयुक्त
कोटा

रिकोर्ड में राजकीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम गैरमुमकिन सड़क के रूप में दर्ज है तथा सार्वजनिक प्रयोजना की है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को उक्त आराजी को किसी प्रकार से बेचान किये जाने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार हमारी राय में प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष अपील प्रकरण में दिया गया है, वो न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में इस न्यायालय में ऐसे कोई तथ्य पेश नहीं किये गये है, जिससे अपील में उल्लेखित कथनों की पुष्टि होती हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा (प्रथम अपीलीय न्यायालय) का निर्णय दिनांक 17.08.2022 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8 निर्णय आज दिनांक 23.10.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

23/10/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
कोटा